US-124
28/3

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
खादय संरक्षा विभाग, 8वीं मंजिल,
मयूर भवन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–01

सं.एफ 231(19)/डीओएफएस/मिस./विधानसभा/2022/7302 दिनांक– 25.03.22

सेवा में,

उप–सचिव (प्रश्न शाखा)
दिल्ली विधानसभा सचिवालय,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
पुराना सचिवालय, दिल्ली–110054

विषय– दिनांक 28/03/2022 को सदन की बैठक हेतु अतारांकित प्र.सं. 124 का उत्तर।

महोदय,

इस विभाग को उपरोक्त विषय में मेल द्वारा भेजे गए विधानसभा प्रश्न दिनांक का संदर्भ ग्रहण करें। प्रश्नों के उत्तर की वांछित 100 एवं 150 प्रतियॉ निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

यह सूचना माननीय स्वस्थ मंत्री की स्वीकृति से जारी है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(सतीश कुमार गुप्ता)
पदनामित अधिकारी, खादय संरक्षा विभाग

सं.एफ 231(19)/डीओएफएस/मिस./विधानसभा/2022/ दिनांक–

प्रतिलिपिः

1. निदेशक, सूचना एवं प्रकाशन विभाग, पुराना सचिवालय, ब्लॉक नं.–9, दिल्ली (प्रश्नों के उत्तर की 150 प्रतियॉ संलग्न है)

(सतीश कुमार गुप्ता)
पदनामित अधिकारी, खादय संरक्षा विभाग

Scanned by TapScanner

विभाग का नाम : खाद्य संरक्षा विभाग

विभाग का पता : आठवां तल मयूर भवन क्नॉट प्लेस नई दिल्ली 110001

अतारांकित प्रश्न संख्या : 124 अतारांकित

दिंनाक : 28/03/2022

प्रश्नकर्ता का नाम : श्री जरनैल सिंह

क्या स्वास्थ्य मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि :

	प्रश्न	उत्तर
क	क्या खाद्य संरक्षण विभाग को वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 में उपभोक्ताओं द्वारा किसी व्यवसायिक प्रतिष्ठान के विरूद्व नकली अथवा निम्न गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों की आपूर्ति की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;	जी, हां
ख	यदि हां, तो उन शिकायतों पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा दें;	वर्ष 2020–21 में 546 व 2021–22 में 337 शिकायतें प्राप्त हुई। शिकायतों के तथ्यों के आधार पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011 तथा विनियम 2011 के अन्तर्गत कार्रवाई की गई है।
ग	क्या खाद्य सरंक्षण विभाग द्वारा नकली और निम्न गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों के विरूद्व शिकायत करने के लिए उपभोक्ताओं को कोई हेल्प लाइन नंबर या ईमेल आईडी जारी किया है; और	जी, हां
घ	यदि हां, तो उस हेल्प लाइन नंबर या ईमेल आईडी को उपभोक्ताओं के संज्ञान में लाने/प्रचलित करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं?	विभाग द्वारा उपभोक्ताओं को हेल्प लाइन नम्बर 1800–11–3921 जारी किया गया है। जिसे प्रचलित करने हेतु विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है। इसके साथ–साथ त्योहारों पर अखबारों में विज्ञापन, लाइसेंस/पंजीकरण शिविरों में व विभिन्न प्रदर्शनीयों में टोल फ्री नम्बर का प्रचार–प्रसार किया जाता है।

SATISH KUMAR GUPTA
Designated Officer/Licenssing Authority
Depatt. of Food Safety
(Govt. of NCT of Delhi)
8th Floor, Mayur Bhawan
Connaught Place, New Delhi-110001

Scanned by TapScanner